मंड़ला घाट जाम पर एसपी का सख्त एक्शन

नियम तोड़ने वालो पर होगी कड़ी कार्यवाही

नवभारत न्यूज

पन्ना,10 जुलाई। पुलिस अधीक्षक पन्ना श्रीमती निवेदिता नायडू द्वारा मड़ला घाटी क्षेत्र में लगातार लगने वाले यातायात जाम को गंभीरता से लेते हुये परिवहन व्यवसायियों, जेके सीमेंट फैक्ट्री में अनुबंधित ट्रांसपोर्टर, बस/ट्रक संचालकों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।

बैठक में सख्त निर्देष दिये गये कि अब जाम की समस्या को किसी भी स्थिति में बर्दाष्त नहीं किया जायेगा और इसके लिये सख्त एवं प्रभावी कदम उठाये जायेगें। बैठक में आया कि घाट मार्ग की सकरी बनावट भारी वाहनों का अनियंत्रित संचालन, ओव्हर लोड़िग तथा ढ़लान पर वाहनो का न्यूट्रल कर चलाने एवं वाहन चालकों द्वारा वाहन में डीजल पेट्रोल चौक न कर चलाने, वाहन को चौक न कर सीधे चलाने, ओव्हर लोड़िग कर वाहन चलाने पर जैसी लापरवाही से जाम की समस्या बार बार उत्पन्न होती है। पुलिस अधीक्षक पन्ना द्वारा इन सभी कारणों पर नाराजगी व्यक्त करते हुये जिम्मेदारों को चेतावनी दी है एवं भारी वाहनों के आवागमन हेतु एक निश्चित समय निर्धारित किया जायेगा। ट्रांसपोर्टर, ड्रायवर की गलती से लगने वाले जाम में ट्रांसपोर्टर वाहन मालिक एवं ड्रायवरों के खिलाफ एफ्आईआर दर्ज करने की सख्त चेतावनी दी है। कोई भी वाहन घाट पर न खराब हो इसके लिये भी सख्त निर्देष दिये गये। जब तक पन्ना-मड़ला मार्ग बन नहीं जाता तब तक ट्रांसपोर्टर वाहन मालिक एवं ड्रायवरों की जिम्मेदारी दी है कि वे अपने वाहन ड्रायवरों को सही एवं चौक कर परिवहन हेतु ले जाये। साथ ही पैसेंजर वाहनों आकस्मिक सेवा में चलने वाले वाहनों को प्राथमिक देते हुये जाम से निकलने संबंधी निर्देष दिये गये है।

इन निर्देशों का करना होगा पालन

वाहन का गियर बाक्स, ब्रेक क्लिच, इंजन, टायर, स्टेयरिंग, डीजल आदि जरूर से चौक कर भेजा जावे तथा ड्रायवर को भी निर्देषित किया जावे कि घाट आदि पर चलने के पहले वे अपने वाहन को चौक करके वाहन चलाये। वाहन खराब होने पर वाहन मालिक क्रेन की व्यवस्था करें अथवा पुलिस द्वारा व्यवस्था किये जाने पर कार्य उपरांत जो चार्ज आता है उसका पेमेंट किया जावे। ..लेवर टीम की व्यवस्था तत्काल उपलब्ध कराये। वाहन में स्पीड गर्वनर की व्यवस्था की जावे जिससे निर्धारित गति सीमा में वाहन चल सके जिससे ट्राली साइड से रोड के किनारे न उतरे। .एक समय पर एक साथ अपने वाहनों को न छोडा जाये, ड्रायवरों को आवष्यक दूरी रखकर चलाने हेतु निर्देषित कर भेजा जावे।

आरोपी दुल्हन सहित फर्जी मां गिरफ्तार

ठगी गई राशि 2 लाख नकद बरामद

नवभारत न्यूज

पन्ना,10 जुलाई। पुलिस अधीक्षक पन्ना श्रीमती निवेदिता नायडू के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पन्ना सुश्री वंदना चौहान तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस गुनौर राजीव सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में थाना अमानगंज पुलिस टीम द्वारा विवाह कराने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर ठगी गई पूरी राशि 2 लाख नगद बरामद करने में सफलता प्राप्त की गई है।

मामले में दिनांक 26. जून को फरियादी केतार राजपूत पिता दयाराम राजपूत, उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम मुकेहा द्वारा थाना अमानगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि आरोपियों द्वारा विवाह कराने का झांसा देकर उससे नगद 2,00,000 लेकर धोखाधड़ी की गई। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना अमानगंज में अपराध धारा 2026 धारा 318(4) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। थाना प्रभारी अमानगंज उनि रवि सिंह जादौन द्वारा विवेचना के दौरान एक आरोपिया (दुल्हन) को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसके उपरांत मामले के फरार मुख्य आरोपी, जिसने अपनी पहचान छिपाकर फर्जी नाम का उपयोग कर फरियादी की शादी तय कराई थी, धीरज पिता कटोरी कुर्मी निवासी कनेरा गॉड को दिनांक 09. जुलाई को थाना जैसीनगर, जिला सागर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से धोखाधड़ी की गई 2,00,000 नगद राशि बरामद कर विधिवत जप्त की गई। मामले में संलिप्त एक अन्य सह-आरोपिया, जो पीड़ित को विश्वास में लेने के उद्देश्य से दुल्हन की मां का किरदार निभाती थी, को दिनांक 10. जुलाई को जिला जबलपुर से गिरफ्तार किया गया। मामले में अन्य पहलुओं की विवेचना जारी है।

वर्षाकाल में झरना एवं जल प्रपात के समीप जाने एवं सेल्फी पर कलेक्टर ने लगाया प्रतिबंध

नवभारत न्यूज

पन्ना ,10 जुलाई। कलेक्टर एवं जिला मजिस्टेऊट ऊषा परमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत धारा 163(1) का आदेश जारी कर बरसात के मौसम में पन्ना जिले के विभिन्न स्थानों पर झरना एवं जल प्रपात पर अत्यधिक समीप जाने एवं सेल्फी व फोटो लेने पर प्रतिबंध लगाया है।

जिले के पन्ना तहसील के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत पन्ना बायपास मार्ग पर स्थित किलकिला कुंड, कौवा सेहा, रानीपुरा सेहा, लखनपुर सेहा एवं कैमासन फाल चौकी मझगवां, मड़ला थाना अंतर्गत केन नदी पुल एवं पाण्डव फाल और बृजपुर थाना अंतर्गत बृहस्पति कुंड स्थल पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसी तरह अमानगंज तहसील के थाना अमानगंज क्षेत्र के पण्डवन एवं पवई तहसील के थाना पवई क्षेत्र अंतर्गत चांदा फाल (सिल्वर फाल) स्थल पर आगामी 2 माह तक प्रतिबंधात्मक आदेश प्रभावशील रहेगा। आदेश के उल्लघंन पर संबंधित के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के अनुसार अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि वर्षाकाल में झरना एवं जल प्रपात स्थल पर बड़ी संख्या में लोग पर्यटन के लिए एकत्रित होते हैं। इससे अत्यधिक समीप जाने और सेल्फी लेने के प्रयास में गहरे पानी में गिरने का खतरा बना रहता है। जिला मजिस्टेऊट द्वारा आमजन की सुरक्षा की दृष्टि से तथा मानव जीवन की सुरक्षा, लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।

प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में प्रवेश मेला प्रारंभ

15 तक कॉलेज लेवल से सीधे प्रवेश का अवसर

नवभारत न्यूज

पन्ना ,10 जुलाई। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, छत्रसाल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पन्ना में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश कॉलेज लेवल काउंसलिंग के माध्यम से प्रारंभ हो गई है।

विद्यार्थियों के मार्गदर्शन एवं प्रवेश प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से महाविद्यालय में प्रवेश मेला आयोजित किया जा रहा है, जहाँ नवप्रवेशी विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को विभिन्न पाठ्यक्रमों, प्रवेश प्रक्रिया तथा महाविद्यालय की सुविधाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की जा रही है।

महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. जे. के. वर्मा ने बताया कि महाविद्यालय में 15 जुलाई तक कॉलेज लेवल काउंसलिंग के माध्यम से पात्र विद्यार्थियों को सीधे प्रवेश प्रदान किया जा रहा है। अत: जिन विद्यार्थियों ने अभी तक प्रवेश नहीं लिया है, वे इस अवसर का लाभ उठाते हुए निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपनी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करें। महाविद्यालय में बी.ए., बी.एससी., बी.कॉम., एम.ए., एम.एससी. एवं एम.कॉम. के साथ-साथ एईडीपी के अंतर्गत रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम भी संचालित हैं। विज्ञान संकाय में रसायन विज्ञान, भौतिकी, गणित, कंप्यूटर विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणीशास्त्र एवं जैव प्रौद्योगिकी, जबकि कला संकाय में राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, मनोविज्ञान एवं समाजशास्त्र सहित विभिन्न विषयों में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है।

स्कूली वाहनों में नियमों की अनदेखी, हो सकता है हादसा

जिला प्रशासन एवं डीईओ की अनदेखी के कारण नियमों का नहीं हो रहा पालन

नवभारत न्यूज

पन्ना ,10 जुलाई। शासन द्वारा प्राइवेट विद्यालयों के वाहन संचालित के लिये फरमान जारी किया गया था कि स्कूलों में संचालित वाहनों में सीसी कैमरे लगाने सहित खिड़कियों में जाली लगाने के अलावा बसों में नहीं दिखाई दे रहा है। जबकि स्कूल प्रबंधन पांच सौ से लेकर एक हजार रूपए तक मासिक शुल्क छात्रों से वसूल रहे हैं इसके बाद भी सुविधाओं को नजर अंदाज कर रहे हैं।

इस मामले को लेकर जिम्मेदारों को तमाम फरमान तो जारी किया गया लेकिन जिला प्रशासन एवं डीईओ की अनदेखी के कारण नियमों का पालन होता नहीं दिखाई दे रहा है। शहर में भी जितने भी निजी विद्यालय हैं वहां बच्चों। को वाहनों के जरिये लाने एवं ले जाने का काम तो किया जाता है लेकिन नियमों की अनदेखी के कारण कोई अप्रिय वारदातें घटित होंगी तो उसका ख्याल नहीं रखा गया है। ऐसे मे विद्यालय प्रबंधन पर ही सारा दोष मढ़ा जा सकता है। परिवहन विभाग एंव स्कूल शिक्षा मंत्री द्वारा फरमान जारी किया गया था कि निजी विद्यालयों के लिये संचालित सभी स्कूली वाहनों मे सीसी कैमरे, जाली युक्त खिड़की एवं बसों में दो गेट होना अनिवार्य है, इसके साथ ही स्कूल प्रबंधन अपना स्टाफ भेजकर बच्चों को लाने एवं पहुंचाने की पूरी व्यवस्था करें। लेकिन इसका पालन अधिकतर विद्यालय संचालक नहीं कर रहे हैं। जिसका नतीजा है कि जिसमें कि लोगों को इस बात की नाराजगी है कि नियम को दरकिनार कर भारी भरकम रकम प्रतिमाह वसूली जा रही है। लेकिन स्कूल प्रबंधन शासन के गाइड लाइन का पालन नहीं कर पा रहा है।

ऐसी स्थिति मे जब तक कड़ाई से स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्यवाही नहीं होगी तब तक यही रवैया देखने को मिलेगा।

किराए में लिए कबाड़ वाहन

जिन स्कूल प्रबंधकों द्वारा वाहन नहीं खरीदा गया है वे कबाड़ वाहनों को किराये में लेकर मनमानी वाहन शुल्क लेने के बाद भी बच्चों को स्कूल मे लाने एवं ले जाने का काम कर रहे हैं। आटो सहित मार्शल, गैस किट लगी मारूति वैन मैजिक एवं अन्य वाहनों के माध्यम से स्कूलों मे बच्चों को ले जाने का जोखिम भरा कार्य नियमों के दरकिनार कर किया जा रहा है। इस मामले में परिवहन विभाग सहित जिले के जिम्मेदार अधिकारी के अनदेखी के कारण निजी स्कूल के संचालकों द्वारा की जा रही मनमानी पर लगाम नहीं लग पा रहा है। इस मामले मे अधिकारियों को जांच करने की जरूरत हैं।

वाहन बना कमाई का जरिया

स्कूलों में बच्चों को लाने ले जाने के लिये भले ही शासन के नियमों को दरकिनार कर स्कूली बसे संचालित हैं लेकिन पांच सौ से लेकर एक हजार रूपए तक प्रति छात्रों से मासिक शुल्क लेने वाले स्कूल प्रबंधन कमाई का जरिया बना लिये हैं। नियमो को धता बताते हुए स्कू ल प्रबंधन के खिलाफ कार्यवाही करने की हिम्मत जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा नहीं उठाई जा रही है। यही वजह है कि मनमानी रूप से वाहनों का संचालन एवं स्टाफकी अनुपस्थित मे भी वाहनों चालकों द्वारा विद्यार्थियों को लाने एवं ले जाने का काम किया जा रहा है।

विस्थापितों के लिए अतिरिक्त दो अरब की राशि स्वीकृत

नवभारत न्यूज

पन्ना ,10 जुलाई। जिले की केन बेतवा लिंक परियोजना, मझगांय एवं रूंज परियोजना के विस्थापित हजारों परिवार लंबे समय से मुआवजा एवं पुर्नव्यस्थापन की मांग को लेकर चरण बद्ध आंदोलन कर रहे हैं जिसके चलते अंततः सरकार को झुकना पड़ा एवं दो अरब से भी अधिक की अतिरिक्त राशि विस्थापितों के लिए स्वीकृत की है जिसमें कहीं न कहीं जिला प्रशासन का भी सहयोग है जिसने म0 प्र0 शासन तक उनकी आवाज को पहुंचाया है ।

पन्ना. केन-बेतवा लिंक परियोजना, मड़गांव, कूड़, परियोजनाओं से प्रभावित विस्थापित परिवारों का चिता आंदोलन गुरुवार को भी जारी है। लगातार हो रही बारिश भी आंदोलनकारियों के हौसले को नहीं डिगा सकी। बड़ी संख्या में आदिवासी महिलाएं, किसान और ग्रामीण आंदोलन स्थल पर डटे रहे।

आंदोलनकारियों ने सरकार द्वारा मुआवजा राशि में बढ़ोतरी को अपने संघर्ष की आर्थिक जीत बताया, लेकिन स्पष्ट किया कि जब तक सभी प्रभावित परिवारों को न्याय नहीं मिलता और परियोजनाओं में कथित भ्रष्टाचार के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तब तक आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा। आंदोलन के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर का आमरण अनशन चौथे दिन भी जारी रहा। वहीं मिट्टी सत्याग्रह और जल सत्याग्रह भी चल रहे हैं। आंदोलन स्थल पर प्रदर्शनकारियों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफनारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को दोहराया। आंदोलनकारियों का दावा है कि उनके लगातार संघर्ष का ही परिणाम है कि रूज और मड़गांव क्षेत्र में मुआवजा राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 12.50 लाख रुपए किए जाने की घोषणा हुई है। इसके साथ ही केन-बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित पन्ना जिले के क्षेत्र के लिए 39 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जाने की जानकारी भी सामने आई है।

आंदोलनकारियों ने प्रशासन के समक्ष चार प्रमुख मांगें रखीं। इनमें सभी विस्थापित परिवारों को भूमि और आवास का न्यायपूर्ण एवं सम्मानजनक मुआवजा, परियोजनाओं में हुए भ्रष्टाचार की स्वतंत्र और उच्चस्तरीय जांच, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तथा प्रभावित परिवारों के उत्पीड़न पर तत्काल रोक लगाने की मांग शामिल है।

अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की बैठक हुई

नवभारत न्यूज

पन्ना ,10 जुलाई। पन्ना नगर के स्थानीय संकल्प गार्डन में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा (स)की बैठक आयोजित की गई बैठक की शुरुआत वरिष्ठ जनों द्वारा भगवान परशुराम के चित्र पर माल्यार्पण द्वारा की गई।

बैठक की अध्यक्षता सीताराम पटेरिया द्वारा की गई बैठक में विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर गहन चर्चा की गई एवं निर्माणाधीन परशुराम मंदिर का निर्माणकार्य शीघ्र पूर्ण करने हेतु विचार विमर्श हुआ बैठक में जिला अध्यक्ष पंडित राम गोपाल तिवारी ने बैठक बुलाने का उद्देश्य बताया उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि बैठक तीन बिंदुओं को लेकर आयोजित की गई है।

सर्वप्रथम निर्माणाधीन भगवान परशुराम का मंदिर आर्थिक अभाव के कारण पूर्ण नहीं हो पा रहा है जिसको सभी लोग मिलकर अतिशीघ्र पूर्ण करवाऐ एवं ट्रस्ट की बंदिया जिन महानुभाव द्वारा ली गई थी वह शीघ्र ही जमा कर दें ताकि निर्माणकार्य बाधित न हो एवं धार्मिक नगरी पन्ना में दिनांक 15 जुलाई से किशोर जी मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा एवं भक्तमाल का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें देश भर के विशिष्ट संत पन्ना नगर में पधार रहे हैं इस धार्मिक आयोजन की कलश यात्रा 15 जुलाई को साइन कल 4 बजे से निकाली जानी है शोभा यात्रा में पधारे संतों का स्वागत करने का प्रस्ताव रखा जिसे सर्वसम्मति से उपस्थित जनों ने समर्थन किया स्वागत किया ।

बैठक में पूर्व मंत्री एवं पन्ना विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह जी उपस्थित हुए उन्होंने दिनांक 15 जुलाई से श्री जुगल किशोर मंदिर में प्रारंभ हो रहे धार्मिक आयोजन के संबंध में विस्तार से बताया गया । विधायक के द्वारा समाज के सभी लोगों से सहयोग करते हुए धार्मिक कार्यक्रम में पधारने का अनुरोध किया गया ।

सर्व ब्राह्मण समाज परिषद की बैठक आज

नवभारत न्यूज

पन्ना ,10 जुलाई। सर्व ब्राह्मण समाज परिषद जिला पन्ना की बैठक दिनांक 11 जुलाइ को शाम 7 बजे श्री राम जानकी प्रांगण पन्ना में आयोजित की जावेगी कार्यकारणी की आमसभा का आयोजन किया जावेगा।

संगठन से संबंधित विभिन्न दायित्वों का प्रभार संबंधितों को दिया जावेगा तथा सर्व ब्राह्मण समाज परिषद के मार्गदर्शन में नगर का सर्वेक्षण कार्य किया जावेगा तथा जिले के नगरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आमसभा का आयोजन कर कार्यकरणी पूरी जिले में गठित की जावेगी। दिनांक 15 से 29 तक श्री श्री 1008 श्री जुगल किशोर जी मंदिर प्रांगण में अग्रमलुक पीठाधीस्वर स्वामी श्री राजेन्द्रदास देवाचार्य जी महाराज श्री वृन्दावन के मुखारबिंद से श्री मद भागवत कथा पन्ना जिले के समस्त सनातनी बंधु धर्मलाभ एवं सहयोग पर चर्चा की जावेगी। उक्त कार्यक्रम के संबंध में सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष श्रीराम रिछारिया, सहित सभी पदाधिकारियों ने अपील की उक्त बैठक में अधिक से अधिक संख्या में पहुँचकर कार्यक्रम को सफल बनाए।

स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा एवं निगरानी में जिला स्वास्थ्य समिति फेल

नवभारत न्यूज

पन्ना ,10 जुलाई। सभी प्रकार की स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा एवं निगरानी के लिये जिला स्वास्थ्य समिति का संचालन किया जाता है। किन्तु देखा जाता है कि समिति की निष्क्रियता के चलते शासन की कई महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हो पाता।

आंकड़ों एवं पोर्टल में फर्जी प्रविष्टियों के आधार पर योजनाओं का संचालित किया जाता है। किन्तु उसमें भी कई तरह की विसंगतियां बताई जाती हैं।

हाई रिस्क प्रेगनेंसी के मामले में लापरवाही - मातृ-शिशु कार्यक्रम शासन की न केवल प्राथमिकता वाली योजना है अपितु संवेदनशील मामला भी है। निर्देश हैं कि हाई रिस्क वाली चिन्हित महिलाओं का प्रसव सीएचसी या जिला अस्पताल में ही होना चाहिये। किन्तु यहां बताया जाता है कि हाई रिस्क से संबंधित प्रकरणों में कई प्रसव निचली स्वास्थ्य संस्थाओं में होते हैं। इसी प्रकार खण्ड चिकित्सा अधिकारियों एवं मैदानी अमले द्वारा नियमित रूप से मानीटरिंग नहीं की जाती। एंटी नेटल चेकअप के मामले में भी लापरवाही बरती जाती है। मामला चाहे सीवियर एनीमिया अथवा माडरेट एनीमिया का हो हर मामले के कवरेज में लापरवाही एवं मनमानी की जाती है। कारण यही है कि मैदानी अमले व उसके ऊपर पदस्थ अधिकारियों का ठीक से नियंत्रण नहीं है।

समय पर उपस्थिति नहीं - ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित अस्पतालों में यह भी देखा जाता है कि नियमित रूप से समय पर संचालन नहीं होता।

अमले का युक्तियुक्तिकरण नहीं

देखा जाता है कि नर्सिंग अमला एंव एएनएम जहां एक बार पदस्थ हो जाते हैं फिर वहां से उन्हें कभी स्थानांतरित नहीं किया जाता। कई जगह पद रिक्त रहते हैं किन्तु वहां पदस्थापना नहीं हो पाती। ग्रामीण क्षेत्रों की स्थितियां तो ऐसी हैं कि पदस्थापना स्थल पर नर्सिंग अमला या एएनएम कभी मुख्यालय में नहीं दिखते। यदा-कदा अफसरों की तरह घंटे दो घंटे के लिये जाते हैं और गप्प मार कर वापस आ जाते हैं। कई बार ऐसी शिकायतें भी आती हैं जहां लंबे समय से पदस्थ अमले का कार्य एवं व्यवहार तानाशाही एवं स्वेच्छिक हो जाता है। लिहाजा ऐसे अमले का समय-समय पर युक्तियुक्तिकरण होना चाहिये। किन्तु स्वास्थ्य विभाग में ऐसा होता नहीं दिखता।

शाला प्रमुखों की कठपुतली बनकर रह गयीं शाला प्रबंधन समितियां, मानदण्ड के अनुसार गठन भी नहीं

नवभारत न्यूज

पन्ना 10 जुलाई। शिक्षा में सामुदायिक सहभागिता को सशक्त करने के उद्देश्य से नई शिक्षा नीति के तहत हर सरकारी स्कूल में विद्यालय प्रबंधन समितियों के गठन का प्रावधान किया गया है। इसे विकेन्द्रीकृत व्यवस्था का का रूप दिया गया है। इसके लिये दिशा निर्देश जारी किये गये। जहां सभी सरकारी स्कूलों में शाला प्रबंधन समितियों का गठन तो किया जाता है। किन्तु उन समितियों का संचालन सही तरीके से कभी नहीं होता।

उन समितियों का उपयोग केवल स्कूलों के प्रमुख लोग मनमानी तरीके से करते हैं। शाला प्रबंधन समितियों के सदस्य एवं पदाधिकारी यह जान ही नहीं पाते कि उन्हें क्या अधिकार दिये गये हैं। वे केवल बैठकों में औपचारिक रूप से कार्रवाई पंजियों में हस्ताक्षर करने के लिये पहुंचते हैं। यही कारण है कि जिस उद्देश्य से शाला प्रबंधन समितियों का गठन किया जाता है वह पूरा नहीं हो पाता।

मानदंडों के अनुसार गठन भी नहीं- दिशा निर्देशों के अनुसार शाला प्रबंधन समितियों में 75 प्रतिशत अभिभावक होने चाहिये, 25 प्रतिशत में स्थानीय प्राधिकरणों के निर्वाचित सदस्य, स्कूलों के शिक्षक, शिक्षाविद्, विषय विशेषज्ञ, पूर्व विद्यार्थी आदि होने चाहिये। किन्तु मानदंडों के अनुसार समिति का गठन भी नहीं किया जाता। निर्देश हैं कि स्कूलों के संचालन शुरू होने के एक महीने के भीतर शाला प्रबंधन समितियों का गठन हो जाना चाहिये। इन समितियों का कार्यकाल दो साल निर्धारित किया गया है। किन्तु यहां पता ही नहीं चलता कि शाला प्रबंधन समितियों का गठन कब हो जाता है, उनकी बैठकें कब आयोजित हो जाती हैं और वहां क्या एजेंडे निर्धारित होते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता के लिये क्या प्रयास किये जाते हैं। इसलिये कहा जा सकता है कि शाला प्रबंधन समितियों का गठन जिन उद्देश्यों को लेकर किया जाता है, जो गतिविधियां होनी चाहिये वह कभी दिखाई नहीं देती। यह भी सही है कि शाला प्रबंधन समितियों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष अभिभावकों के बीच से चुने जाते हैं जबकि संस्था के प्रमुख को सचिव घोषित किया जाता है। बावजूद इसके अध्यक्ष केवल नाम का होता है। सब कुछ शाला का प्रधान ही होता है। वह जैसा चाहता है उसी तरह से समितियों को उपयोग करता रहता है। लिहाजा शाला प्रबंधन समितियों की स्थिति आज तक प्रभावी नहीं बन पाई। समिति की बैठक महीने में एक बार होनी चाहिये, बैठक के लिये कार्यसूची, नोटिस, एजेन्डा, मिनिट, निर्णय, सदस्यों का क्षमता निर्माण, विद्यालय का रिपोर्ट कार्ड एवं अन्य कई बिन्दुओं के अनुसार संचालन होना चाहिये। किन्तु शाला प्रमुखों द्वारा समितियों को मृतप्राय स्थिति में पहुंचा दिया जाता है। लिहाजा इन समितियों की भूमिका आज तक स्पष्ट नहीं हो पाई।

समिति की भूमिका निर्धारित

दिशा निर्देशों के अनुसार शाला प्रबंधन समितियों की शिक्षा में गुणवत्ता सहित कई मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निर्धारित की गई है। शाला विकास योजना तैयार करना, समग्र शिक्षा, पीएमश्री, एवं पीएम पोषण आदि योजनाओं की निगरानी, विद्यार्थियों का नामांकन, नियमित उपस्थिति, ड्राप आउट बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ना, बच्चों को पुस्तकें, गणवेश आदि समय पर उपलब्ध करवाना, शैक्षणिक योजना में सहयोग, वित्तीय प्रबंधन, सामाजिक लेखा परीक्षण, बच्चो की सुरक्षा एवं कल्याण आदि कई बिन्दु निर्धारित किये गये हैं जो शाला प्रबंधन समितियों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। किन्तु देखा जाता है कि स्कूलों में शाला प्रबंधन समितियों को निष्क्रिय जैसी स्थिति में डाल दिया जाता है।